उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

सोमवार 03 आषाढ़ शक संवत्, 1925
(दिनांक : 23 जून, 2003)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "**क**")।

2. प्रश्न (देखिए नत्थी "**ख**")

3. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "**ग**")।

4. मुख्यमंत्री संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2000-2001, उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सरकार का सिविल प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

5. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष, 2003 के प्रथम सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।

6. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

7. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोड़ी पाली का उच्चीकरण कर इण्टरमीडिएट की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में" श्री हयात सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

....2/....

8. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोडी पाली के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री हयात सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद पिथौरागढ़ में जूनियर हाईस्कूल नैनी-सैनी का उच्चीकरण कर हाईस्कूल बनाने के सम्बन्ध में'' श्री उम्मेद सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री कैलाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगड़ा की पट्टी विशौद में राजकीय चिकित्सालय खुलवाने के सम्बन्ध में'' श्री आनन्द सिंह फर्त्याल एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

12. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

13. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

14. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

15. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

16. मुख्यमंत्री, पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

17. मुख्यमंत्री, पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

18. मुख्यमंत्री, इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

19. मुख्यमंत्री, इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

20. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**(घ)**)

21. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

22. वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

1- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 2390680 हजार **(दो सौ उन्तालीस करोड़ छः लाख अस्सी हजार)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ङ)**)

2- आबकारी मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-8, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 39704 हजार **(तीन करोड़ सत्तानबे लाख चार हजार)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(च)**)

3- पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 345300 हजार **(चौंतीस करोड़ तिरपन लाख)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(छ)**)

4- शिक्षा मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 9175178 हजार **(नौ सौ सत्रह करोड़ इक्यावन लाख अठहत्तर हजार)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ज)**)

....4/....

5- कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17, कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 1812166 हजार **(एक सौ इक्यासी करोड़ इक्कीस लाख छियासठ हजार)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(झ)**)

6- मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 996627 हजार **(निन्यानबे करोड़ छियासठ लाख सत्ताईस हजार)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ञ)**)

7- मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 89163 हजार **(आठ करोड़ इक्यानवे लाख तिरसठ हजार)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ट)**)

8- वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 1829792 हजार **(एक सौ बयासी करोड़ सत्तानवे लाख बानवे हजार)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ठ)**)

23. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

24. जनपद नैनीताल में गौला नदी से खुरिया खत्ता, शीशम भुजिया, श्रीलंका टापू-बिन्दुखत्ता, रावत नगर, हाटाग्राम में कृषि क्षेत्र में कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरीशचन्द्र दुर्गापाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2003 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत, सिंचाई मंत्री का वक्तव्य।

....5/....

25. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर बेरोजगार प्रशिक्षित फार्मासिस्टों की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी एवं श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जून, 2003 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य।

26. विधान सभा क्षेत्र पुरौला के अन्तर्गत विद्यालयों का उच्चीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मालचन्द, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जून, 2003 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादूनः
दिनांक : 23 जून, 2003

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

द्वितीय सत्र, 2003

का द्वितीय सोमवार

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

सोमवार, 3 आषाढ़, शक संवत्, 1925

(दिनांक : 23 जून, 2003)

नत्थी (क)

अल्पसूचित प्रश्न

श्री प्रकाश पंत 2.6.2003	**1. क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि जिला सहकारी बैंक देहरादून तथा जिला सहकारी बैंक कोटद्वार को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 11 की परिधि में आ गये हैं तथा सरकार द्वारा अनुमन्य छूट हेतु संस्तुति की गयी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इन बैंकों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पद विज्ञापित किये गये हैं? यदि हाँ, तो पदों में नियुक्तियों का औचित्य क्या है?	सहकारिता
श्री मातबर सिंह कण्डारी 7.6.2003	**2. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मेगाटेक तथा उत्तरांचल इनफ्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट कम्पनियों को कन्सलटेन्सी के रूप में नियुक्त किये जाने का क्या कारण है?	ग्राम्य विकास

नत्थी (ख)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली 1958, के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित प्रश्न

श्री मदन कौशिक 4.6.2003 श्री मातबर सिंह कण्डारी 7.6.2003 श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 11.6.2003	*1.	चतुर्थ सोमवार तक के लिए स्थगित

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

श्री मदन कौशिक 19.5.2003	*1.	विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त	
श्री मातबर सिंह कण्डारी 20.5.2003	*2.	क्या उद्योग मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल प्रदेश के अधिकांश जिले उद्योग शून्य हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों को क्या-क्या सुविधा देने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्योग
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 22.5.2003	*3.	क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तरांचल का उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थापित होने से वादकारियों को कठिनाई हो रही है? क्या यह सत्य है कि नैनीताल में आवासीय सुविधा का अभाव महंगा खान-पान, अधिवक्ताओं की ऊँची फीस के कारण वादकारियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय नहीं उपलब्ध हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार लोकहित में हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	न्याय
श्री प्रीतम सिंह पंवार 22.5.2003	*4.	क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मैदानी संवर्ग विकल्पधारी उपजेलरों को कब तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा उत्तरांचल विकल्पधारी बन्दीरक्षक संवर्ग से उपजेलर पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	गृह
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 24.5.2003	*5.	क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 में व्यापार कर के रूप में कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ? क्या राजस्व वृद्धि के लिए सरकार कर प्रणाली में कोई परिवर्तन करने जा रही है? यदि हाँ, तो उसका प्रस्तावित स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	व्यापार कर
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 27.05.2003	*6.	विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त	

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 19.5.2003	*7. क्या आवास मंत्री बतायेंगे कि मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा देहरादून महानगर व आस-पास की भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो अभी तक कितनी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है? उक्त अधिग्रहण भूमि का प्रयोजन क्या है तथा कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी भूमि को अधिग्रहित किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार अधिग्रहण से प्रभावित आवासीय प्लॉटों के मालिकों को आवासीय प्लॉट उपलब्ध करायेगी तथा अधिग्रहण की कार्यवाही से प्रभावित कृषकों को नौकरी अथवा वाणिज्यिक प्लॉट उपलब्ध कराये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो उसका क्या आधार बनाया गया है?	आवास
श्री अजय भट्ट 30.05.2003	*8. क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक पैकेज के अनुरूप उत्तरांचल सरकार द्वारा भी पैकेज नीति घोषित कर दी है? यदि हाँ, तो नीति का विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्योग
चौ0 यशवीर सिंह 30.05.2003	*9. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के निजी नलकूप के विद्युत बिल हर माह न लेकर वर्ष में एक बार (बिना चार्ज वसूल किये) लिये जाने की क्या कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री नारायण पाल 2.6.2003	*10. क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में विद्युत के मूल्य को कम करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री काजी निजामुद्दीन 6.6.2003	*11. **पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त**	
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 5.6.2003	*12. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त**	
मौ0 शहजाद 10.6.2003	*13. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में हरिद्वार जनपद के देहात क्षेत्र को कितने घन्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है?	ऊर्जा

अतारांकित प्रश्न

डा0 नारायण सिंह जंतवाल 21.5.2003	1. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल ''झील परिक्षेत्र विकास क्षेत्र प्राधिकरण'' से जनता को हो रही दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार प्राधिकरण को समाप्त करने या उसके नियमों में शिथिलीकरण करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आवास
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 28.05.2003	2. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में हिम ऊर्जा को विकास खण्ड घाट में मन्दाकिनी नदी पर द्वितीय यूनिट लगाने की अनुमति प्रदान की गयी है ? यदि हाँ, तो यह यूनिट किस स्थान पर लगायी जायेगी ?	ऊर्जा
डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल 29.05.2003	3. क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002 में ऊधमसिंह नगर के किन-किन विकास खण्डों में बाल पोषाहार के रूप में खाद्यान्न का वितरण किया गया? क्या मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अवधि में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड जसपुर में भी बाल पोषाहार के रूप में खाद्यान आवंटित किया गया था? यदि हाँ, तो कितना? यदि नही, तो क्यों?	बाल विकास
श्री मदन कौशिक 28.05.2003	4. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक कितनी दुकानों का निर्माण तथा आवंटन किया गया है? शेष दुकानों का आंवटन कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	आवास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 30.05.2003	5. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त**	
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 31.5.2003	6. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 12वें वित्त आयोग टर्म ऑफ रिफरेन्स (Term of Reference) में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान के संबंध में विभिन्न हिमालयी राज्यों के प्रति भेदभाव मिटाने के संबंध में कोई उल्लेख है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किये हैं?	वित्त
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 31.5.2003	7. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय की नैनीताल में स्थापना हेतु कुल कितने परिवारों को उनके आवासों से विस्थापित किया गया? क्या आवासों से हटाये गये लोगों को कोई अन्य आवास उपलब्ध कराये गये हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में इन लोगों को आवास उपलब्ध करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	तृतीय सोम के अता. 1 में स्था.

डा0 नारायण सिंह जंतवाल 31.5.2003	8. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य विधिक प्राधिकरण उत्तरांचल नैनीताल में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा व राज्य का निवासी होने के संबंध में कोई आवश्कीय शर्त है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विधिक प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात विधिक प्राधिकरण में कितनी नियुक्तियाँ हुई है? क्या नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी उपरोक्त शर्तों (राज्य का निवासी व आयु सीमा) को पूरा करते हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करेगी?	न्याय
श्री प्रकाश पंत 2.6.2003	9. क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में हिमालयन मैग्नासाइट फैक्ट्री बन्द हो चुकी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार पुनः प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	उद्योग
श्री प्रकाश पंत 4.6.2003	10. क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि विभिन्न प्रकार की पोलीथीन निर्माण के कितने उद्योग उत्तरांचल में स्थापित हैं? वर्तमान में विभिन्न कारणों से कितने उद्योग बन्द पड़े हैं? बन्द पड़े उद्योगों के लिए सरकार की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है?	उद्योग
श्री प्रीतम सिंह पंवार 2.6.2003	11. क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में कार्यरत लिपिक संवर्ग के पदनाम में कोई परिवर्तन करने तथा वेतनमान बढ़ाये जाने पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है? यदि हाँ, तो इस पर कब तक सकारात्मक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	कार्मिक
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 3.6.2003	12. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में विस्थापितों की काँवली रोड स्थित एम.डी.डी.ए. कालोनी में व्यवसायिक रूप से आवंटित भवनों में आवंटियों द्वारा घरेलू विद्युत कनैक्शन लेकर राजस्व की लाखों रूपये की क्षति पहुँचाई जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त के विरूद्ध कोई कार्रवाई करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 22.5.2003	13. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद नैनीताल में पट्टे की भूमि को फ्री-होल्ड करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आवास
श्री प्रेमानन्द महाजन 22.5.2003	14. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में विभागों का पुनर्गठन कार्य पूर्ण हो गया है? क्या अभियोजन निदेशालय का गठन हो गया है या अभियोजन निदेशालय को पुलिस विभाग के अन्तर्गत ही रखा जायेगा?	कार्मिक

श्री मदन कौशिक 5.6.2003	15. क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्रीनगर गढ़वाल में इसी वर्ष खोले जाने वाले मेडिकल कॉलेज में शिक्षण कार्य इसी वर्ष से प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा शिक्षा
श्री नारायण पाल 7.6.2003	16 क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रान्त में कितने राजकीय महाविद्यालय बिना पूर्ण कालिक स्थायी प्राचार्यों के चल रहे हैं? उन में प्राचार्यों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?	उच्च शिक्षा
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 9.6.2003	17. क्या मुख्य मंत्री अवगत हैं कि 2 मार्च, 2002 को उत्तरांचल सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त अवर अभियंताओं के पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कार्मिक
श्री हरबंस कपूर 6.6.2003	18. क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण द्वारा गुच्चू पानी, देहरादून को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना बनाई गई थी? यदि हाँ, तो यह योजना कब बनाई गयी थी तथा इस पर कितना व्यय किया गया है?	आवास

नत्थी (घ)

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 जून, 2003 की बैठक में दिनांक 23 जून, 2003 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

जून, 2003

23 सोमवार

माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के सम्बद्ध विभाग

अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय पर्यटन, आबकारी एवं सैनिक कल्याण मंत्री से सम्बद्ध विभाग

अनुदान संख्या-8, आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या-26, पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा से सम्बद्ध विभाग

अनुदान संख्या-11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय कृषि, कृषि विपणन एवं जलागम प्रबन्धन मंत्री से सम्बद्ध विभाग

अनुदान संख्या-17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय मुख्यमंत्री से सम्बद्ध विभाग

अनुदान संख्या-6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या-25, खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय वन, पर्यावरण एवं शहरी विकास मंत्री से सम्बद्ध विभाग

अनुदान संख्या-27, वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

नत्थी (ङ)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग
लेखा शीर्षक-(2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, 2. श्री प्रकाश पन्त, 3. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 4. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 5. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, 6. श्री कैलाश शर्मा, 7. श्री मदन कौशिक, 8. श्रीमती आशा नौटियाल, 9. श्री हरभजन सिंह चीमा, 10. श्री अजय भट्ट, 11.श्री अनिल नौटियाल, 12.श्री हरबंस कपूर, 13.काजी निजामुद्दीन, 14.श्री प्रेमानन्द महाजन, 15.मो0 शहजाद, 16.श्री तसलीम अहमद, 17.श्री हरिदास, 18.चौ0 यशवीर सिंह, 19. श्री काशी सिंह ऐरी, 20. श्री विपिन त्रिपाठी, 21. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (च)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 08-आबकारी विभाग
लेखा शीर्षक-(2039-राज्य उत्पादन शुल्क, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री प्रकाश पन्त, 2. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 3. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 4. श्री कैलाश शर्मा, 5. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, 6. श्री मदन कौशिक, 7. श्रीमती आशा नौटियाल, 8. श्री हरभजन सिंह चीमा, 9. श्री अजय भट्ट, 10.श्री अनिल नौटियाल, 11.काजी निजामुद्दीन, 12.मो0 शहजाद, 13.श्री तसलीम अहमद, 14.श्री हरिदास, 15.चौ0 यशवीर सिंह, 16.श्री प्रेमानन्द महाजन, 17.श्री काशी सिंह ऐरी, 18. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 19. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (छ)

<u>वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव</u>

अनुदान संख्या : 26-पर्यटन विभाग
लेखा शीर्षक-(3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
4. श्री कैलाश शर्मा,
5. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
6. श्री गोविन्द लाल शाह,
7. श्री मदन कौशिक,
8. श्रीमती आशा नौटियाल,
9. श्रीमती विजय बड़थ्वाल,
10. श्री हरभजन सिंह चीमा,
11. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
12. श्री अजय भट्ट,
13. श्री अनिल नौटियाल,
14. श्री हरबंस कपूर,
15. काजी निजामुद्दीन,
16. मो0 शहजाद,
17. श्री हरिदास,
18. श्री तसलीम अहमद,
19. चौ0 यशवीर सिंह,
20. श्री प्रेमानन्द महाजन,
21. श्री काशी सिंह ऐरी,
22. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी,
23. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल।

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ज)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग
लेखा शीर्षक-(2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2204-खेल-कूद तथा युवा सेवायें, 2205-कला एवं संस्कृति, 4202-शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, 2. श्री प्रकाश पंत, 3. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 4. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 5. श्री कैलाश शर्मा, 6. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, 7. श्री मदन कौशिक, 8. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 9. श्रीमती आशा नौटियाल, 10.श्री हरभजन सिंह चीमा, 11.श्री अजय भट्ट, 12.श्री हरबंस कपूर, 13.श्री अनिल नौटियाल, 14.श्री प्रेमानन्द महाजन, 15.काजी निजामुद्दीन, 16.श्री हरिदास, 17.चौ0 यशवीर सिंह, 18.श्री काशी सिंह ऐरी, 19.श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 20.डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 21.श्री बलवीर सिंह नेगी।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (झ)

<u>वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव</u>

अनुदान संख्या : 17-कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग
लेखा शीर्षक-(2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, 6401-फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज)

<u>प्रस्तावक का नाम</u>	<u>प्रस्ताव का प्रारूप</u>
1. श्री हरबंस कपूर, 2. श्री प्रकाश पन्त, 3. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 4 श्री कैलाश शर्मा, 5. श्री मदन कौशिक, 6. श्रीमती आशा नौटियाल, 7. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, 8. श्री हरभजन सिंह चीमा, 9. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 10.श्री अजय भट्ट, 11.श्री अनिल नौटियाल, 12.काजी निजामुद्दीन, 13.श्री प्रेमानन्द महाजन, 14.श्री हरिदास, 15.मो0 शहजाद, 16.श्री तसलीम अहमद, 17.चौ0 यशवीर सिंह, 18.श्री काशी सिंह ऐरी, 19.श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 20.डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 21.श्री बलवीर सिंह नेगी।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ञ)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग
लेखा शीर्षक-(2029-भू-राजस्व, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 2075-विविध सामान्य सेवायें, 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री अजय भट्ट, 2. श्री हरबंस कपूर, 3. श्री प्रकाश पन्त, 4. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 5.श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, 6.श्री कैलाश शर्मा, 7.श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 8. श्री गोविन्द लाल शाह, 9.श्री मदन कौशिक, 10.श्री अनिल नौटियाल, 11.श्रीमती आशा नौटियाल, 12.श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 13.श्री हरभजन सिंह चीमा, 14.काजी निजामुद्दीन, 15.श्री प्रेमानन्द महाजन, 16.मो0 शहजाद, 17.श्री तसलीम अहमद, 18.श्री हरिदास, 19.चौ0 यशवीर सिंह, 20.श्री काशी सिंह ऐरी, 21.श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 22.डा0 नारायण सिंह जन्तवाल,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ट)

<u>वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव</u>

अनुदान संख्या : 25-खाद्य विभाग
लेखा शीर्षक-(2408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण, 3456-सिविल पूर्ति, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, 4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री प्रकाश पन्त, 2. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 3. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 4. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, 5. श्री कैलाश शर्मा, 6. श्री मदन कौशिक, 7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 8. श्रीमती आशा नौटियाल, 9. श्री अजय भट्ट, 10.श्री हरबंस कपूर, 11.श्री अनिल नौटियाल, 12.श्री काशी सिंह ऐरी, 13.श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 14.डा0 नारायण सिंह जन्तवाल,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ठ)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 27-वन विभाग
लेखा शीर्षक-(2046-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय, 6406-वानिकी और वन्य जीवन हेतु ऋण)

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री प्रकाश पन्त, 2. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 3. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 4. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, 5. श्री कैलाश शर्मा, 6. श्री मदन कौशिक, 7. श्रीमती आशा नौटियाल, 8. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 9. श्री हरभजन सिंह चीमा, 10.श्री हरबंस कपूर, 11.श्री अजय भट्ट, 12.श्री अनिल नौटियाल, 13.श्री काशी सिंह ऐरी, 14.श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 15.डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 16.श्री बलवीर सिंह नेगी।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।